फ़.सं.ए-11019/1/2023-सीसी-एमओएसपीआई

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केंद्र

पूर्वी खंड-10, आर. के. पुरम,

नई दिल्ली, दिनांक: 24.04.2023

परिपत्र

विषय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विधि परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत सरकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधी ।

1	**पदनाम**	**विधि परामर्शदाता**
2	नियुक्ति की अवधि	प्रारंभ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए जिसे मंत्रालय की आवश्यकतानुसार और चयनित आवेदक के संतोषजनक प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
3	आवश्यक कार्मिकों की संख्या	एक
4	तैनाती का स्थान	संगणक केंद्र, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
5	परिश्रमिक प्रतिमाह	जैसा की व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 दिसंबर ,2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25 /2020-EIII A द्वारा विनियमित किया गया था अर्थात सेवानिवृति के समय वेतन और पेंशन का अन्तर
6	आयु सीमा	62 वर्ष से अधिक नहीं(62 वर्ष की अधिकतम आयु आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर गणना होगी)
7	योग्यता	शैक्षिक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री **अनिवार्य अनुभव** : केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों में उचित स्तर पर कानूनी मामलों से निपटना अर्थात विधि और न्याय मंत्रालय विधि विभाग इत्यादि में अतिरिक्त विधि परामर्शदाता अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/ मंत्रालय/ विभागों में समकक्ष स्तर पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें ओए/ जवाबी हलफनामा तैयार करना और विभिन्न न्यायालयों में आवश्यक अन्य कानूनी दस्तावेज सहित कानूनी मामलों में निपटने तक ही सीमित न हो , का अनुभव शामिल है ।
8	पात्रता	अतिरिक्त विधि सलाहकार के स्तर पर सेवानिवृत सरकारी अधिकारी या कानूनी मामलों को संभालने वाले अनुभव के समकक्ष
9	कर्तव्यों कि प्रकृति	अनुलग्नक-I के अनुसार
10	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में 30 मई,2023 तक जमा किया जा सकता है
11	आवेदन अग्रेषित किया जाए	कार्यालय प्रधान, संगणक केंद्र, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पूर्वी खंड-10 सेक्टर-1, आरके पुरम नई दिल्ली-110066

अधोहस्ताक्षरी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संगणक केंद्र में विधि परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त विधि सलाहकार / विधि अधिकारी अथवा समकक्ष स्तर पर सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों के आवेदन आमंत्रण, 1 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए जो 1 और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, जारी करने का निदेश हुआ है ।

2. उक्त नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी और अनुबंध आधार पर है । चयनित उम्मीदवार को इस मंत्रालय में किसी पद पर नियमितीकरण मांगने का अधिकार नहीं होगा इसके अलावा चयनित व्यक्ति समय समय पर यथा संशोधित परामर्शदाताओ की नियुक्ति संबंधी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25 /2020-EIII A में निहित प्रावधानों के तहत शासित होंगे । (प्रति संलग्न)

3. विधि परामर्शदाता की चयन प्रक्रिया अनुलग्नक-।। में वर्णित मानदंड (प्रारंभिक और अंतिम चयन मानदंड दोनों) के आधार पर होगी ।

4. अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा और बातचीत/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

5. संगणक केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी आवेदन को खारिज करने का अधिकार सुरक्षित है ।

अमित कुमार
उप निदेशक एवं कार्यालय प्रधान

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ ताकि इस परिपत्र को संबंधितों के बीच व्यापक प्रचार किया जाए ।

फ़.सं.ए-11019/1/2023-सीसी-एमओएसपीआई

प्रोफार्मा

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में विधि परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन

1.	पूरा नाम		हाल का पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं
2.	जन्म की तारीख		
3.	सरकारी सेवा से अधिकवर्षिता की तारीख		
4.	शैक्षिक योग्यता		
5.	पूरा आवासीय पता (वर्तमान पता पूरे दस्तावेजी साक्ष्य सहित जैसे आधार/वोटर आईडी कार्ड/रेंट एग्रीमेंट/बिजली का बिल इत्यादि)		
6.	दूरभाष : मोबाइल नंबर		
7.	ई मेल आईडी		
8.	अंतिम आहरित वेतन(सेवानिवृत सरकारी अधिकारी द्वारा पीपीओ की प्रति संलग्न की जाए)		
9.	सेवा में प्रवेश के बाद धारित पद		
10.	आहरित पेंशन		

क्रम संख्या	संगठन जहां सेवा की और पदनाम	वर्तमान एवं मूल वेतन	से	को	निष्पादित कार्यों की प्रकृति

* प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के बाद में संबंधित मंत्रालय /विभाग अथवा उस मंत्रालय/ विभाग से सत्यापित किया जाना चाहिए जहां से उम्मीदवार सेवानिवृत हुए हों ।

**क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 9, एवं 10 की मदों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्व-सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएं ।

11. उक्त नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो ।

(यदि आवश्यक हो तो अलग सीट संलग्न करें)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि सेवानिवृत्ति के समय में मैं सतर्कता की दृष्टि

से संदेह से परे था/थी । मैंने इस दस्तावेज को पढ़ लिया है और विधि परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें स्वीकार करने को तैयार हूं ।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

स्थान

दिनांक

अनुलग्नक-1

विधि परामर्शदाता के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. मंत्रालय के सामने आने वाले कानूनी मुद्दों पर कानूनी राय देना ।मंत्रालय के खिलाफ दायर सभी ओएएस, रिट याचिकाओं, एसएलपी, पीआइएल पर पैरावार टिप्पणियां तैयार करना और जवाबी हलफनामे का मसौदा तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात संबंधित स्थाई काउंसिल को अग्रेषित करना।
2. पैरा-वार टिप्पणियों के संदर्भ में स्थाई काउंसिल से प्राप्त कानूनी कागजात/ दस्तावेज/ पत्राचार और जवाबी हलफनामा की जांच करना।
3. मंत्रालय के हित को सुनिश्चित करने वाले अनुबंध और कानूनी दस्तावेजो का मसौदा इस नियुक्ति के प्रमुख कार्यों में से एक है।
4. समय-समय पर सौंपे गए कानूनी प्रकृति के अन्य कार्य करना ।
5. मंत्रालय के लंबित अदालती मामलों की सूचि तैयार करना ।
6. लंबित अदालती मामलों की निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो विभिन्न मंत्रालय की ओर से स्थानीय कानूनी काउंसिल की सहायता के लिए उपस्थित होना होगा।
7. विधि परामर्शदाता आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत निर्णय मामलों में मंत्रालय की सहायता भी करेगा ।

चयन मानदंड

विधि परामर्शदाता के चयन के लिए मानदंड निम्नानुसार शासित होंगे :

1. यदि विधि परामर्शदाता के लिए आवेदनों की संख्या 10 से अधिक है तो दोनों शर्तें (क) और (ख) के आधार पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग होगी:

(क) आवेदक की शैक्षिक योग्यता,जहां उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को अधिक वेटेज दिया जाएगा और अंकन का पैटर्न निम्नानुसार होगा:

न्यूनतम योग्यता	एलएलएम	5
	एल एल बी 75% से अधिक अंकों के साथ	5
	एलएलबी 60% से अधिक लेकिन 75% अंकों से कम	2
	एलएलबी 50% से अधिक लेकिन 60% से कम अंकों के साथ	1

अंकन के लिए उच्चतम योग्यता पर विचार होगा ।

(ख) आवेदक का अनिवार्य अनुभव, अधिक वर्षो तक कम किए आवेदक को अधिक वेटेज दिया जाएगा।

अनिवार्य योग्यता	केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय में अतिरिक्त विधी परामर्शदाता के रूप में कम से कम 5 वर्षो का अनुभव	5
	केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय में अतिरिक्त विधी परामर्शदाता के रूप में कम से कम 3 वर्षो का अनुभव	3

तथापि,उपरोक्त प्रारम्भिक चयन प्रक्रिया है और अंतिम चयन, प्रारम्भिक चयन के बाद सूचित पूर्व-निर्धारित तिथि और समय पर बातचीत/साक्षात्कार के आधार पर होगा ।

2. उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य ।

3. यदि आवेदकों की संख्या 10 से कम है तो केवल बातचीत/साक्षात्कार किया जाएगा हालांकि बातचीत/ साक्षात्कार के समय उक्त मानदंड की जांच की जाएगी।